

JUSTICE VENTURES
international project **JVI**
Strengthening Ventures that Promote Justice

Funding provided by the United States Government

Let justice roll on like a river, righteousness like a never failing stream.

स्वच्छता च ब्रह्मवैश्वानर इव १ अक्षयम् ७

भारत

- जबरन श्रम और यौन शोषण के शिकार पुरुषों/महिलाओं/बच्चों के लिए भारत एक स्रोत, गंतव्य और पारगमन देश है (यूएस टीआईपी रिपोर्ट, 2017)।
- 7-17 वर्ष की आयु के 12.9 मिलियन बच्चे मानव व्यापार के शिकार हैं (ILO).
- पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मानव व्यापार की संभावना अधिक है (एनसीआरबी इंडिया, 2016)।
- जबरन श्रम और वाणिज्यिक यौन शोषण भारत में मानव व्यापार के दो सबसे सामान्य रूप/उद्देश्य हैं (एनसीआरबी इंडिया, 2016).
- 159 आरोपी व्यक्तियों को मानव व्यापार से सम्बंधित अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था; 163 मामलों को अदालत ने सत्य पाया (एनसीआरबी इंडिया, 2016).
- 15,379 पीड़ितों को 2016 में मानव व्यापार के अपराधों में पीड़ित पाया गया (एनसीआरबी इंडिया, 2016).

ग्लोबल

The cost of human trafficking

Every year, human traffickers make **profit from the trade** **\$150bn**



Source: UN Office on Drugs and Crime, International Labour Organization
Icons: Kid A - The Noun Project



क्या तुम जानते हो

भारतीय कानून में मानव व्यापार की व्यापक
परिभाषा क्या है?

भारतीय दंड संहिता की धारा 370

“जो भी, ~~दुःख~~ के उद्देश्य से, किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का

(ए) भर्ती, (बी) परिवहन, (सी) शरण, (डी) स्थानान्तरण, या (ई) प्राप्त, निम्नलिखित कृत्यों के उपयोग से करता है, जैसे की —

- धमकियों का उपयोग करना, या
- बल प्रयोग, या किसी अन्य प्रकार के बल प्रयोग, या
- अपहरण द्वारा, या
- धोखाधड़ी, या धोखे का अभ्यास करके, या
- शक्ति के दुरुपयोग से

किसी व्यापारिक लाभ पाने हेतु किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के जबरन कार्य करता है तो वह मानव व्यापार का अपराध करता है।”

आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013

संशोधित सेक. आईपीसी के 370 और संयुक्त राष्ट्र के तस्करी प्रोटोकॉल के आधार पर मानव व्यापार की भारत की पहली परिभाषा शामिल.

- श्रृंखला - भर्ती, परिवहन, शरण, स्थानान्तरण या प्राप्ति
- लघुहृदय - धमकी, जबरदस्ती, अपहरण, शक्ति का दुरुपयोग, प्रलोभन
- क्षुब्ध - शोषण - "शारीरिक या यौन, दासता या दासता, दासता या अंगों को जबरन हटाने के समान व्यवहार"

पीड़ित की सहमति महत्वहीन है

भारत में मानव व्यापार पर कानून

- **क्रवघल् इव द्रुअश्रवः** : अनुच्छेद 23 मानव व्यापार और जबरन श्रम पर रोक लगाता है।
- बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम.
- बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम.
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम.
- अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम.

(ये सभी अधिनियम कई प्रकार के जबरन श्रम को दंडित करते हैं)

- **श्रुअड्ड ँ वृहवघश्रुअवघर् श्रश्रुअग्रस्र** : वाणिज्यिक यौन शोषण के उद्देश्य से अवैध व्यापार के अधिकांश रूपों को अपराध घोषित करता है.
- **एडुअव ँ वृच श्रश्रुअग्रस्र**: बाल तस्करी को परिभाषित करता है।

(भारतीय कानून में मानव व्यापार की व्यापक परिभाषा नहीं थी फरवरी 2013 तक)

अवैध व्यापार कैसे काम करता है

खरीदार पैसे से बाजार में ईंधन भरता है

व्यापारी उपयोग करते हैं

- पीड़ित
- डर
- हिंसा
- धमकी
- अपहरण

व्यापारी लुभाते हैं


- * सुरक्षा
- * नौकरी
- * घर
- * साहसिक
- * प्यार, आदि

(अनुपालन सुनिश्चित करने और मांग को पूरा करने के लिए)

चुनौतियां

- अवैध व्यापार किए गए व्यक्तियों को पीड़ितों के रूप में पहचानने में विफलता.
- पीड़ितों के साथ अपराधियों के जैसा व्यवहार किया जाता है और असहज / शत्रुतापूर्ण वातावरण में रहते हैं .
- जांच और परीक्षण में देरी.
- मानव व्यापार के मामलों की सुनवाई के लिए कोई विशेष अदालत नहीं.
- कम गिरफ्तारी और अभियोजन दर; अपराधी की जवाबदेही प्राथमिकता होनी चाहिए.
- जटिल सामाजिक गतिशीलता.
- पीड़ितों और अभियोजन पक्ष के गवाहों से निपटने के लिए असंवेदनशीलता.

धन्यवाद



Funding provided by the United States Government

JUSTICE VENTURES
international project

Strengthening Ventures that Promote Justice

